





भारत सरकार **Government of India** खान मंत्रालय **Ministry of Mines** भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines**

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान)

Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145,2695202 फोन नं 2695165

दिनांक : 05.04.2022

Mine Code: 38RAJ09011

संख्या : RAJ/CHT/LST-12/Vol-II

प्रेषित: मेसर्स नुवोको विस्तास कारपोरेशन

(पूर्व में लाफार्ज इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड),

चित्तौर सीमेंट प्लाट, गाँव-भावलिया,तहसील-निम्बाहेरा.

जिला-चित्तौडगढ (राजस्थान) 312620

ईमेल- somnath.banerjee@nuvoco.in

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Arniya

Joshi Limestone Mine (M.L. 10/06, Lease area 1476.43Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 03.03.2022 by the undersigned in presence of Shri Somnath Banerjee, AVP(Mines) & Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of Review of mining
	Plan (Approved on 24.01.2020): -
	1) No proper care & maintainance of plantation was observed during the inspection for the
	plantation carried out during the year 2020-21 & 2021-22.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुघार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपर, राजस्थान।
- 3 सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेडा जिला-चितोङगढ।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान

भारतीय खान ब्यूरो